अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 9/2005-06

चन्दु सोरेन एवं अन्य।
बनाम
बलदेव हेम्ब्रम एवं अन्य।

आदेश

यह वाद दिनांक– 19.08.2005 को वादी चन्दु सोरेन, पिता– स्व० चुन्नु सोरेन एवं 08 अन्य वादी, सभी का निवासी ग्राम– तमाड़बाँध, पो०– चाईबासा, अंचल– सदर चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा वाद पत्र के Schedule "C" में वर्णित भूमि का Exclusive right, title and interest के लिए प्रतिवादी बलदेव हेम्ब्रम, पिता– स्व० आनादी हेम्ब्रम एवं 05 अन्य प्रतिवादी, सभी का निवासी ग्राम– तमाड़बाँध, पो०– चाईबासा, अंचल– सदर चाईबासा, जिला– पश्चिमी सिंहभूम के विरूद्ध दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में लम्बे समय से वादी पक्ष की और से कोई पैरवी नहीं करने के कारण नोटिस भेजा गया। लेकिन सुनवाई हेतु कई तिथि गुजर जाने के बाद भी वादीगण या उनके अधिवक्ता की ओर से कोई अभिरूचि नहीं ली ज़ा रही है।

अतः वादी को वाद भूमि में अभिरूचि नहीं रहने के कारण इस वाद को खारिज (Dismiss for Default)किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

24.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

24.09.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.11.21 16:00:04 +05:30
Location: 10.93.66.36

Scanned with CamScanner